उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 15.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपद महोबा की थाना चरखारी पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री (गुढ़ा मंदिर के पुजारी सुमेरा हत्याकांड) का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड में अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग, पुलिस टीम ने हिकमत अमली से हत्या के वांछित बालअपचारी सहित कुल 06 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे, 04 जिन्दा एवं 02 खोखा कारतूस सहित हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल डंडा एवं 02 मोटर साइकिल की गयी बरामद-

दिनांक 08.05.2025 की रात्रि को थाना चरखारी क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुढ़ा स्थित गजाई मंदिर में पुजारी सुमेरा (उम्र-70 वर्ष) की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया। घटना में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चरखारी में मु0अ0सं0 84/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर तंत्र के सहयोग से जांच को बहुपक्षीय दिशा में आगे बढ़ाया गया।

आज दिनांक 15.05.2025 को प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गौरहारी रोड, बड़ी नहर पुल के पास घेराबंदी कर हत्या में शामिल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, किंतु सतर्क पुलिस टीम ने उन्हें मौके से ही पकड़ लिया। जिनकी पहचान क्रमशः 1.अनीश राजपूत उर्फ भगवान सिंह पुत्र रामपाल राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बरातपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा 2.प्रेम नारायण सिंह पुत्र रामअवतार उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम बिलरख थाना राठ जिला हमीरपुर 3.धर्मपाल कुशवाहा पुत्र प्रकाश चन्द्र कुशवाहा उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम बरातपहाड़ी थाना कोतवाली जनपद महोबा 4.सुनील कुमार अहिरवार पुत्र संतोष कुमार उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बिलरख थाना राठ जनपद हमीरपुर 5.दिलीप राजपूत विजय बहादुर उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बरातपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा 6.(बाल अपचारी) यशेन्द्र पुत्र कमल किशोर उम्र करीब 16 वर्ष निवासी ग्राम बिलरख थाना राठ जनपद हमीरपुर के रुप में हुई है।

इस दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे, 04 जिन्दा एवं 02 खोखा कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एवं 02 मोटर साइकिल बरामद की गयी है।

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा:

मुख्य अभियुक्त अनीश राजपूत ने बताया कि मृतक पुजारी सुमेरा उसकी पत्नी आसमा (नातिन) से हुए प्रेम विवाह का विरोध करता था, साथ ही परिवारिक विवादों में पक्षपात करने से अभियुक्त के मन में रंजिश थी। इसी खुन्नस में उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पुजारी की सोची-समझी साजिश के तहत हत्या की योजना बनाई।

रात्रि 11 बजे पुजारी के मंदिर में अकेले होने का फायदा उठाकर अभियुक्तों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और प्रेम नारायण ने डंडे से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद हत्या में प्रयुक्त डंडे को नहर के पास फेंक दिया गया था, जिसे नष्ट करने के प्रयास में सभी आये हुए थे कि पुलिस टीम की सतर्कता से वह पकड़े गए।

महोबा पुलिस

धारा वृद्धि व अन्य अभियोग:

मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190 बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी तथा पुलिस मुठभेड़ व बरामद अवैध शस्त्रों के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 92/25 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से बरामद 02 मोटरसाइकिलें एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज की गयी हैं।

बरामदगी:

- 02 अवैध तमंचे 315 बोर नाजायज
- 04 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज
- हत्या में प्रयुक्त डंडा (आलाकत्ल)
- घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल (एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. व0उ0नि0 रमेश कुमार यादव 3.उ0नि0 शुभम सिंह
4. उ0नि0 विशाल वाजपेई 5. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
6. हे0कां0 श्याम सिंह 7. हे0का0 महेन्द्र पाल 8.कां. जयदीप पटेल 9. कां0 आर्यन सिंह
10. का0 मो0कामिल 11. का0 कुलदीप 12. का0 पंकज कुमार (थाना चरखारी पुलिस टीम)
13. कां0 दीपक वर्मा 14. कां0 कुलदीय यादव (सर्विलांश सेल महोबा)

जनपद महोबा पुलिस द्वारा इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का शीघ्र व सटीक अनावरण करते हुए घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना चरखारी पुलिस टीम की तत्परता, समन्वय और सतर्कता की प्रशंसा की गई है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.05.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत "परिवार परामर्श केन्द्र" कमेटी के सदस्यों ने परिवार को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां-

आज दिनांक- 15.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में "परिवार परामर्श केन्द्र" कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना सुषमा चौधरी की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 06 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था, उनकी काउंसिलिंग की गयी एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के निदान हेतु काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी का जोड़ा आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुए हैं, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

परिवार परामर्श के दौरान म0कां0 रेखा, म0कां0 विभा सिंह सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः श्रीमती विभा पुरवार, श्रीमती नीतू पालीवाल, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री मो0 हनीफ आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।